



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01516

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : BLOOMED®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/DIS/01517

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : BROMOSEPT®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Disinfectant
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR2023/CHEM/04639

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

14-03-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

1. प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : DEOLITE GR
2. उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Chemical
3. कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company :  
M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
4. कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
5. मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. Finary Biotech INC, Flat No. 02, First Floor,  
Durgadeep Apartment, 240 Paresh Mazumdar Road,  
Kasba, Haltu-700078, Kolkata District, West Bengal
6. तक वैध है / Valid up to : 13 March 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/CHEM/01518

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : DEOMED®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Chemical
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता/  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/IMMU/01519

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : **DULIMAX<sup>®</sup>**
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : **Immunostimulant**
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : **M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal**
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : **Manufacturer**
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : **M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat**
- तक वैध है / Valid up to : **21 June 2028**



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01520

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : EXTRAGEL®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR2023/PRO/04640

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

14-03-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

1. प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : FINADELLA
2. उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Probiotic
3. कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company :  
M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
4. कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
5. मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer :  
M/s. Finary Biotech INC, Flat No. 02, First Floor,  
Durgadeep Apartment, 240 Paresh Mazumdar Road,  
Kasba, Haltu-700078, Kolkata District, West Bengal
6. तक वैध है / Valid up to : 13 March 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01521

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : FINGROW™
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01522

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : FINMIN®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01523

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : FINOMED®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/IMMU/01524

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : FINRAY® C35
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Immunostimulant
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01528

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : GELOMAX®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता/  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01525

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : GUTMED®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01526

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : LIMOMAX®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01527

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : PARACIDE®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/PRO/01531

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : REMIDEX®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Probiotic
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/PRO/01530

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : REMIDEX® - NR
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Probiotic
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/PRO/01529

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : RHODOPRO®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Probiotic
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/DIS/01534

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : SANOMED® - 80
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Disinfectant
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/DIS/01532

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : SANOMED® - POWDER
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Disinfectant
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/CHEM/01535

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : SOFTFIN®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Chemical
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/CHEM/01536

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : SPAROX®
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Chemical
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/CHEM/01537

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : SPAROX® TAB
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Chemical
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01539

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : UKADO® LQ
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण / COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries  
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying  
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA



एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट का अनुपालन प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR ANTIBIOTIC-FREE AQUACULTURE INPUTS

प्रमाणपत्र संख्या/  
Certificate No.

CAA/MAR 18/FA/01538

जारी करने की तारीख/  
Date of issue :

22-06-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित जलकृषि इनपुट का अनुपालन किया जाता है:

Certified that the following aquaculture input has complied with the documentary evidences for Antibiotic-free status:

- प्रमाणित उत्पाद का नाम /  
Name of the Product certified : UKADO® P
- उत्पाद की श्रेणी /  
Category of the Product : Feed Additive
- कंपनी का नाम और पता/  
Name & Address of the company : M/s. FINRAY BIOTECH INC, DURGADEEP  
APARTMENT, 1ST FLOOR, FLAT NO: 02, 240  
PARESH MAZUMDAR ROAD, KASBA, HALTU-700078,  
Kolkata District, West Bengal
- कंपनी की स्थिति /  
Status of the company : Manufacturer
- मूल उत्पाद निर्माता का नाम और पता /  
Name and Address of the  
original product Manufacturer : M/s. FINRAY BIOTECH INC - 2, S.NO. 91, MAHAVIR  
ESTATE, OPP. RDC PLANT, SANTEJ, KALOL-380060,  
Gandhinagar District, Gujarat
- तक वैध है / Valid up to : 21 June 2028



(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory)

**एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र की शर्तें**  
**Conditions for Certificate of Compliance for antibiotic-free aquaculture inputs**

1. यह अनुपालन प्रमाणपत्र केवल उल्लिखित उत्पाद के लिए है।  
This Certificate of Compliance is for the product mentioned only.
2. प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध है और यदि एंटीबायोटिक मुक्त स्थिति के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अनुपालन किया जाता है तो इसे समान अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।  
The certificate is valid for 5 years and can be renewed for a similar period, if complied with the documentary evidences for antibiotic-free status.
3. प्रमाणपत्र सीएए नियम, 2005 के नियम 11.7 के तहत जलकृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है।  
The certificate is pertaining to the antibiotics banned for use in aquaculture vide Rule 11.7 of CAA Rules, 2005.
4. निरीक्षण समिति बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपालन के अनुरूप निर्माताओं या आयातकों के भंडारण/विनिर्माण सुविधाओं का यादृच्छिक रूप से निरीक्षण करेगी।  
The Inspection Committee shall randomly inspect the storage/manufacturing facilities of the manufacturers or importers as the case may be for conforming the compliance without any prior notice.
5. उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए सीएए द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा बाजार से उत्पाद का आवधिक यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा और यदि उत्पाद में कोई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेष पाया जाता है, तो अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए दिशानिर्देशों की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उत्पाद को गैर – पंजीकृत कर दिया जाएगा और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की सूची से हटा दिया जाएगा।  
Periodical random sampling of the product from the market shall be done by the Taskforce constituted by CAA to keep the product in the active list and in case any banned antibiotic residue is found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of antibiotic-free Aquaculture inputs in addition to penal actions as per the provisions provided under Section 8 of the CAA guidelines for the issuance of Certificate of Compliance.



**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

भारत सरकार / Government of India

5वीं मंजिल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग वेटेरनरी हॉस्पिटल रोड, फैनपेट, नन्दनम, चेन्नई-600 035, तमिलनाडु, भारत  
5<sup>th</sup> Floor, Integrated Office Complex for Animal Husbandry and Fisheries Department, Fanepet, Nandanam,  
Chennai-600035, Tamil Nadu, India

Phone: +91 44 24353502 Email: caainputs@caa.gov.in / caaheadoffice@caa.gov.in

Website: <http://www.caa.gov.in>